न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौंहान , आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 17 / 2022

प्रार्थीगण	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
1. लीलाराम पुत्र लालाराम साकिन डेरडी तहसील जसवतंपुरा 2. हीराराम पुत्र वचनाराम साकिन वाडा तहसील रानीवाडा 3. दीपाराम पुत्र अजाराम साकिन डेरडी तहसील जसवंतपुरा		1. हडमतसिंह पुत्र वचनसिंह साकिन पंचंरी तहसील जसवंतपुरा 2. बगदाराम पुत्र वेलाराम जाति भील निवासी आखराड तहसील रानीवाडा 3. अदरा पुत्र चेला 4. उखरडा पुत्र केरिया 5. एवन पत्नि भूताराम 6. गवरा पुत्र हंसा 7. घेवा पुत्र हंसा 8. जेठा पुत्र केरिया 9. जेसु पुत्र पाता 10. झमका पुत्री हंसा 11. झुमी पुत्री पाता 12. ढेली पुत्र हंसा 13. पेचू पत्नि पाता 14. फूली पुत्री पाता 15. ब्लवंता पुत्र केरिया 16. माया पुत्री भूताराम 17. श्रेखा पुत्र पाता 18. मृतक रेश्मा के कायम मूकाम 18 / 1 रमु पुत्र रेश्मा 18 / 2 कान्ति पुत्र रेश्मा 18 / 3 शंकरा पत्नि रेश्मा 19. राणाराम पुत्र पाता 20. लाखाराम पुत्र चेला 21. विकाराम पुत्र भूताराम 22. सुकी पत्नि हंसा 23. सन्ता पुत्री पाता 24. सवि पुत्री हंसा समस्त जातियान भील निवासी चाण्डपुरा 25. प्रभा पुत्र रगा कौम कलबी निवासी चाण्डपुरा तहसील रानीवाडा 26. भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा

अन्तर्गत धारा 111,128 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण अधिवक्ता श्री रमेशकुमार गर्ग।
2. अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता श्री रमेशकुमार सैन।
3. अप्रार्थी संख्या 3, 4, 9, 17, 19, 20, के अधिवक्ता श्री श्रवणसिंह देवडा।

आदेश

दिनांक – 24.11.2022

1. प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 111,128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसका तथ्य संक्षेप में

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2023.03.16 14:40:37 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र के अनुसार इस प्रकार है कि सरहद मौजा चाण्डपुरा में प्रार्थीगण की सामलाती आराजी खसरा नम्बर 421 रकबा 0.74 हैक्टेयर है। उनके पडौस में खसरा नम्बर 581/407 रकबा 0.21 हैक्टेयर अप्रार्थी संख्या 2 ,खसरा नम्बर 407 रकबा 3.44 हैक्टेयर, अप्रार्थी संख्या 3 से 24 व खसरा नम्बर 420 रकबा 2.34 हैक्टेयर अप्रार्थी संख्या 1 व खसरा नम्बर 422 रकबा 0.82 हैक्टेयर अप्रार्थी संख्या 25 की खातेदारी राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त आराजी को श्रीमान तहसीलदार रानीवाडा के आदेश क्रमांक 8 दिनांक 07.04.2022 के आदेश की अनुपालना में मौजा चाण्डपुरा के खसरा नम्बर 421 रकबा 0.74 हैक्टेयर के सीमांकन हेतु अडौस पडौस के खातेदारों को पूर्व में सूचना देने के बाद मौके पर पैमाईश करने हल्का पटवारी कागमाला पहुचे तो खसरा नम्बर 421 के उतरी माठ व खसरा नम्बर 407 के खातेदार व पश्चिम माठ के पास के खसरा नम्बर 581/407 के खातेदारों ने माठो पर निशानात नहीं करने दिए, खसरा नम्बर 420 के खातेदार मौके पर उपस्थित नहीं मिले, जिसके कारण उस माठ पर निशानात नहीं करवाए जा सकें। व मौका फर्द से स्पष्ट जाहिर होता है कि सीमा विवाद विद्यमान है। ऐसी स्थिति में दिनांक 21.04.2022 को पैमाईश नहीं हो सकी।

अप्रार्थी संख्या 1 से लगायत 25 माठ की सीमा को मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में विवाद के निपटारे के लिए स्थायी सीमाज्ञान एंव पत्थर गढी करने बाबत श्रीमान अदालत हाजा के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र न्यायहित में पेश करना अनिवार्य हो गया है। अतः न्यायहित में प्रार्थीगणों की खातेदारी आराजी के खसरा नम्बर 421 रकबा 0.74 हैक्टेयर के स्थायी सीमा ज्ञान एवं पत्थरगढी करने हेतु कमेटी गठित कर पुलिस इमदाद के साथ पैमाईश करना उचित है। प्रार्थीगण गरीब परिवार के है तथा काश्त ही एकमात्र सहारा है। अप्रार्थीगण करीबन 2 साल से कब्जे काश्त में दखलन्दाजी कर रहे है। माठ तोडना जान माल की नुकसान पहुंचाने की धमकी देना आम बात है। अगर यही स्थिती बनी रही तो परिवार के भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। अतः प्रार्थना पत्र स्थायी सीमाज्ञान एव पम्थरगढी का पेश कर निवेदन है कि सरहद मौजा चाण्डपुरा के खसरा नम्बर 421 रकबा 0.74 हैक्टेयर की पैमाईश कमेटी गठित कर पुलिस इमदाद मय करवाने का न्यायहित में आदेश फरमावें।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। अप्रार्थी संख्या 2, 5 से 8, 10 से 16, 18/1 से 18/3 व 21 से 25 की ओर से बाद तामिल नोटिस कोई उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब नहीं देने पर न्यायहित में जवाब बंद किया गया। अप्रार्थी 3, 4, 9, 17, 19, 20 की ओर से अधिवक्ता व अप्रार्थी संख्या 26 राजपेरोकार द्वारा जवाब दिया गया।

3. अप्रार्थी संख्या 3, 4, 9, 17, 19, 20 की ओर जवाब पेश किया गया जिनके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 3 से 24 की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 407 रकबा 3.44 हैक्टेयर आई हुई है। उक्त अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 407 की आराजी व प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 421 रकबा 0.74 हैक्टेयर आराजी के बीच मौके पर पूर्व से माठ कायम की हुई है। व मौके पर किसी भी प्रकार का माठ का विवाद नहीं है। इसलिए उक्त आराजी का सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। प्रार्थीगण ने केवल मात्र अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र गलत व

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2023.03.16 14:40:37 IST
Reason: SelfAttested

मनगढंत तथ्यों के आधार पर पेश किया है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में कोई दखलदाजी नहीं की है। जब अप्रार्थीगण अपनी खातेदारी की आराजी में काबिज काश्त है। हम अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुचाया है। इसलिए कमेटी गठित सीमाज्ञान किया जाना न्यायोचित नहीं है। सो प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमानजी से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र केवल मात्र अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने की नियत से गलत व मनगढंत तथ्यों पर पेश किया होने से मय खर्चा खारीज फरमावें

4. अप्रार्थी संख्या 26 भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा द्वारा जबाव पेश किया जिनके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा चाण्डपुरा के खसरा नम्बर 421 रकबा 0.74 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी के पडौसीयान खसरा नम्बर 581/407, 407 420 आये हुए है। उक्त खसरा नम्बर की पैमाईश हेतु सक्षम स्तर से आदेश जारी हुआ। आदेशानुसार हल्का पटवारी द्वारा पैमाईश हेतु मौका मुआयना किया गया एवं पडौसी खातेदारान की अनुपस्थिति व मुस्तकिल बिन्दु के अभाव में सीमाज्ञान नही किया गया। व पटवारी द्वारा मौका फर्द में मौके पर माठ कायमी का विवाद होना बताया है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व पटवारी फर्द एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार खसरा नम्बर 421 रकबा 0.74 हैक्टेयर का सीमाज्ञान/पत्थरगढी की जाती है तो भूमिधारी को कोई एतराज नही है।

5. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता व राजपेरोकार की बहस सुनी गई। पत्रावली मे पेश प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेज का अवलोकन करने व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता व राजपेरोकार के बहस के तथ्यों पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 21.04.2022 को तहसीलदार रानीवाडा से सीमांकन करवाने पर खसरा नम्बर 421 के उत्तरी माठ पर खसरा नम्बर 407 , पश्चिमी माठ पर खसरा नम्बर 581/407 व पूर्वी माठ पर खसरा नम्बर 420 आदि खसरान के खातेदार अनुपस्थित रहने व उक्त खसरान के मध्य माठों पर विवाद होने से सीमाकंन नहीं किया गया। तथा राजपेरोकार ने बहस में सीमाविवाद होना स्वीकार किया। व प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द में भी मौके पर सीमाविवाद होना प्रतित होता है। ऐसी ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण मौके पर सीमा विवाद के समाधान हेतु पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है। अतः मौजा चाण्डपुरा के खसरा नम्बर 421, 407, 581/407 ,422 व 421 के मध्य की माठ वादग्रस्त होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतित होता है।

–: आदेश :–

6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रानीवाडा को आदेश दिया जाता है कि सरहद मौजा चाण्डपुरा पटवार हल्का कागमाला के खसरा नम्बर 421, 407, 581/407 ,420 व 422 रकबा क्रमश 0.74, 3.44, 0.21, 2.34, 0.82 हैक्टेयर आराजी के मध्य माठ की पैमाईश कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थर गड़डी हेतु एक कमेटी का गठन करवा कर 7 दिवस में पालना प्रस्तुत करें। एवं आप द्वारा गठि[illegible] निर्देशित करें कि दोनों पक्षों को सूचित कर उनके रूबरू मौकिया नक्शा ट्रेस [illegible] लट्ठा नक्शा से पैमाईश करें,

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2023.03.16 14:40:37 IST
Reason: SelfAttested

तथा सीमांकन कर पत्थर गड्डी करवायें। इस आदेश की पालना हेतु आदेश की प्रति तहसीलदार रानीवाडा को भेजी जावें। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा वहन करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(कुसुमलता चौंहान)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा जिला–जालोर

निर्णय आज दिनांक 24.11.2022 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाड़ा जिला–जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2023.03.16 14:40:37 IST
Reason: SelfAttested